

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक— 2257/11-सी-FP/UP/Others/146071/2021, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 06, 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,  
लखनऊ।

विषय:— जनपद मेरठ में Laying of 12 dia natural Gas pipeline at various roads, Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Road, NH-58 km chainage 90.290 to 85.800 total length 4.490 km हेतु 0.2245 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं०— FP/UP/Others/146071/2021

सन्दर्भ: उ०प्र० शासन की पत्र सं०—पी०—309/81-2-2022-800(323)/2022, दिनांक—26.09.2022  
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ ने अपने पत्रांक—2636/14-1 दिनांक 03.01.2023 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवतीय,

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या— 2257/11-सी-FP/UP/Others/146071/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
- 2— प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मेरठ।
- 3— एडिशनल जनरल मैनेजर, इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, आई०जी०एल० भवन, प्लॉट नं०—4, आर०के० पुरम, सेक्टर—9, नई दिल्ली।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।